न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 62/**2018** **अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री बाबूलाल जाजू निवास ए–125 कुमुद विहार–1, होटल फ्लोरा पार्क के सामने, भीलवाडा ––**अपीलार्थी**	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं खनिज अभियन्ता व सदस्य सचिव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट भीलवाडा ––**प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : २१ .08.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं खनिज अभियन्ता व सदस्य सचिव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 16.07.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 924079 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 02.06.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं खनिज अभियन्ता व सदस्य सचिव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट भीलवाडा को जरिये डाक प्रेषित किया गया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.06.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 02.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं खनिज अभियन्ता व सदस्य सचिव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट भीलवाडा से प्रत्युत्तर चाहा गया। अपीलार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब का अवलोकन किया। जवाब उचित नहीं है। जबकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु 1 एवं 2 स्पष्ट है। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उल्लंघना की गई है।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं खनिज अभियन्ता व सदस्य सचिव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट भीलवाडा द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 02.06.2018 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है।

अतएव प्रत्यर्थी को निर्देश दिए जाते है कि अपील में निर्णय दिनांक से 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करा पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। इसी आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं खनिज अभियन्ता व सदस्य सचिव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट भीलवाडा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक २१.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा